राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र संख्या– 35/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003/2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांकःलखनऊः जुलाई 11, 2026

विषयः क्रिमिनल मिस. बेल अप्लीकेशन संख्या–11476/2026 मेवालाल प्रजापति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.05.2026 के अनुपालन में मा0 जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में होने वाली मॉनिटरिंग सेल की बैठक में नियमित रूप से उपस्थित होने के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी अवगत है कि शासन के निर्देशों के क्रम में आपराधिक न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु मा0 जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की मासिक मानिटरिंग सेल की बैठक की व्यवस्था की गयी है।

2– मा0 जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की मासिक मानिटरिंग सेल की समीक्षा बैठक में सत्र न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों की स्थिति, गवाहों की तलबी, उपस्थिति, परीक्षण एवं परीक्षित गवाहों की स्थिति तथा सत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन सर्वाधिक पुराने 5-5 मुकदमों के विचारण तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श करने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में डीजी परिपत्र संख्या–07/2018 दिनांक 21.02.2018 तथा 56/2018 दिनांक 24.10.2018 अनुपालनार्थ निर्गत किया गया है।

3– क्रिमिनल मिस. बेल अप्लीकेशन संख्या–11476/2026 मेवालाल प्रजापति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.05.2026 में पुलिस आयुक्त सहित सभी जनपद पुलिस प्रभारियों को मा0 जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में होने वाली मासिक मानिटरिंग सेल की बैठक में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निम्नवत निर्देशित किया गया है—

> "vi. DGP, UP, shall issue directions to all District Police Chiefs, including the Commissioner of Police, to attend the monthly Monitoring Cell Meeting under the chairmanship of the concerned District Judge personally."

4– अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की मासिक मानिटरिंग सेल की समीक्षा बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

11/7

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1-पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6-निदेशक, अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।